पत्तन प्रबंध बोर्ड
PORT MANAGEMENT BOARD
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
***

NOTICE

The Chief Port Administrator, Port Management Board on behalf of the Andaman & Nicobar Administration invites applications from interested candidates fulfilling the following eligibility criteria for engagement of professionals as Consultants as indicated below for a period of one year to manage the statutory functions of Survey of Vessels registered under Andaman and Nicobar Inland Vessel Rule 2016 and other small boats/Crafts plying in Andaman & Nicobar Islands.

S. No.	Nomenclature	No. of Posts	Eligibility Criteria	Fee Payable (in Rs.)
01.	Chief Surveyor	01 Post	(a) Possesses a degree or equivalent in Marine Engineering and Ministry of Transport First Class Certificate of competency issued by Director General of Shipping, Government of India or equivalent certificate recognized by Government of India ***or*** (b) A basic degree in Naval Architecture with 10 years experience in sea going regular vessels/ Classification Societies / Ship Building yards / reputed International Shipping Corporations or State Port Department ***or*** (c) Diploma in ship building with 20 years experience in sea going regular vessels/ Classification Societies / Ship Building yards /reputed International Shipping Corporations or State Port Department ***AND*** (d) Has served in the capacity of a Surveyor for a minimum period of 5 years in the DGS/State IWT Department / State Maritime Board.	` 1,10,000/-
02.	Surveyor	02 Posts	(a) Marine/Mechanical/Electrical Engineer in possession of minimum Second Class Motor/Steam MOT Certificate issued by Director General of Shipping, Government of India or Equivalent certificate recognized by Government of India and having minimum 7 years of sailing experience	` 75,000/-

			or (b) A basic degree in Naval Architecture with 7 years experience either / or in sea going regular vessels/ Classification Societies / Ship Building yards / reputed International Shipping Corporations or State Port Department *or* (c) Diploma in ship building with 15 years experience either / or in sea going regular vessels / Classification Societies / Ship Building yards / reputed International Shipping Corporations or State Port Department *or* (d) Master Mariner with 2 years of sailing experience or experience in maritime training / marine survey after having obtained Master's Certificate issued by Director General of Shipping, Government of India or equivalent International Certificate.	

AREA OF CONSULTANCY / JOB DESCRIPTIONS :-

In accordance with Rule 21(iv) and 21 (vii) the duties of Chief Surveyor and Surveyor is appended below :-

(A) Chief Surveyor :-

1. Scrutiny of applications for survey of vessels (steel, wooden, FRP/GRP Hull existing and newly constructed vessels/ boats) and confirm that they are in order.
2. Fix the date and place of surveys and conduct the survey as per rules.
3. Verify and ensure that the vessels are constructed as per the approved drawings, General Arrangement plans etc. in accordance with the IV Rules notified by the A & N Administration.
4. Determine whether the hull of the vessel is in proper condition and fit for service.
5. Test the stability of the vessel so as to ensure safety against capsizing under any conditions.
6. Ascertain that the machinery and machinery layout, propeller, shafting, gears and steering, pipe lines such as bilge and ballast, oil transfer etc., wheel house, crew accommodation, passages, galleys, stores, service place etc., ventilation, change of air for engine room etc., life - saving , fire - fighting, light and sound signals, Navigation and communication equipment etc., are in order and that generally the vessel is fully equipped for the safety and convenience of crew and passengers.
7. Issue declaration of survey to the vessel surveyed by him to the owner or master of the vessel.
8. Give copies of documents on payment of fees specified in these rules and maintain accounts of all dues connected with survey and miscellaneous receipts.
9. Framing of guidelines for survey of all types of vessels which will be approved by A & N Administration prior to commencement of surveys.

(B) Surveyor :-

(1) Attend to the survey of vessel as per directions from the Chief Surveyor.
(2) Maintain registers of vessels.
(3) Conduct periodical inspection as per statutory provisions on board vessels and verify the records to be maintained on board, validity of crew certificate, survey certificate, Life Saving appliances, Fire Fighting Appliances, navigation and communicating equipments, machineries etc. In case of default he shall detain the vessel and make necessary recommendations for suspension / cancellation of the certificate of Registration / survey to the competent authority. Such detention order shall be in Form No. 11(a).

Note : Every surveyors shall , for the purposes of any survey made by him, be deemed to be a public servant within the meaning of the Indian Penal Code.

In addition to the job description explained above, the selected candidates are expected to render all technical / professional guidance and shall be responsible for compliance of all statutory requirements of the vessels owned by Port Management Board.

The fee explained above is inclusive of all expenses and no other facilities in any shape or form are admissible to the selected incumbents. The candidates are, however, at liberty to indicate the expected fee in case they are not satisfied with the fee indicated above.

The selected candidates are, however, entitled for one day leave for every completed month during the period of their engagement as full time Consultant, which shall be availed by them before completion of their tenure of engagement.

Whenever deputed to Islands other than Port Blair, the Chief Surveyor and Surveyor will be entitled for Dearness Allowance of Rs.500/- per day and tickets for to and fro journey.

The applicants should be of absolute integrity, hard working, willing to accept any challenge / task, capable to complete the assigned task with precision and in a time bound manner and free from major health problems/deficiencies.

Their engagement as consultants shall be liable for termination at any time without any notice or assigning reason thereof and the decision of the Chief Port Administrator in this regard shall be binding to them.

The suitability of the candidates will be assessed by a duly constituted committee keeping in view the records made available by them, their performance in the personal talk, professional knowledge and experience in the field.

Interested persons fulfilling the eligibility criteria may submit their resume in the prescribed format annexed herewith, together with attested copies of all certificates/ testimonials to the Chief Port Administrator, Port Management Board, Port Blair – 744 101, Andaman and Nicobar Islands on or before 15th January,2017. Applications received after the due date will not be entertained under any circumstances.

Chief Port Administrator
Port Management Board

Annexure I

P R O F O R M A

(Application for appointment as Full time Consultants in the Port Management Board)

BIO – DATA

01	Name	
02	Fathers Name	
03	Date of Birth	
04	Address	
05	Educational Qualifications	
06	Professional Qualifications	
07	Experience	
08	Contact Nos	Land line : Mobile : Email :
09	Present Employment details, if any	
	(a) Organization	
	(b) Post held	
	(c) Period of service	
	(d) Monthly emoluments	
	(e) Nature of employment	

10	Employment Details in chronological order				
	Organization	Post	Period From - To	Scale of Pay	Nature of Duties

Signature of the candidate with date

List of Enclosures :

1.
2.
3.

पत्तन प्रबंध बोर्ड
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

.....

सूचना

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन की ओर से मुख्य पत्तन प्रशासक, पत्तन प्रबंध बोर्ड निम्नलिखित योग्यता मानदण्डों को पूरा करने वाले इच्छुक उम्मीदवारों से अंर्तद्वीपीय जलयान अधिनियम 1917 के अधीन पंजीकृत तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में चल रहे बोटों / जलयानों के सर्वेक्षण के सांविधिक कार्यों को एक वर्ष के लिए नीचे बताए अनुसार प्रबंध करने हेतु व्यावसायियों को परामर्शदाता के रूप में काम पर लेने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :–

कमांक	पदनाम	पदों की संख्या	पात्रता मानदंड	देय शुल्क (रूपए) में
01.	मुख्य सर्वेक्षक	01 (एक) पद	क) मैरीन इंजीनियरिंग में डिग्री या समकक्ष योग्यता धारी हो तथा भारत सरकार जहाज़रानी महानिदेशक द्वारा जारी परिवहन मंत्रालय का प्रथम श्रेणी प्रमाणपत्र धारी हो या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष प्रमाणपत्र धारी हो **या** (ख) नियमित चलने वाले जहाजों / श्रेणीकरण समितियों / पोत निर्माण यार्डो /मान्य अन्तराष्ट्रीय जहाज़रानी निगम या राज्य पत्तन विभाग में 10 वर्ष के अनुभव के साथ नौसैनिक आर्किटेक्चर आधारिक डिग्री धारी हो **या** (ग) नियमित रूप से चलने वाले जहाज़ों / श्रेणीकरण समितियों / पोत निर्माण यार्डो / मान्यता प्राप्त अंतराष्ट्रीय जहाज़रानी निगमों या राज्य पत्तन विभाग में 20 वर्ष के अनुभव सहित पोत निर्माण में डिप्लोमाधारी हो । **तथा** (घ) डी.जी. एस./स्टेट आई.डब्ल्यू.टी. विभाग /स्टेट के अधीन सर्वेक्षक की हैसियत से कम से कम 5 वर्षो की सेवा की हो ।	`1,10,000/-

02.	सर्वेक्षक	02 (दो) पद	(क) मैरीन / यांत्रिक / विद्युत अभियंता जिनके पास कम से कम भारत सरकार के नौवहन महा निदेशक द्वारा जारी द्वितीय श्रेणी के मोटर / स्टीम एम.ओ.टी प्रमाणपत्र हो और जिनके पास कम से कम 7 वर्षों का नौचालन अनुभव हो । अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष प्रमाणपत्र धारित हो । **या** (ख) निरंतर चलने वालें जहाजों /श्रेणीकरण समितियों / पोत निर्माण यार्डो / मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय नौवहन निगमों अथवा स्टेट पत्तन विभाग में 7 वर्ष के अनुभव सहित नौसेना आर्किटेक्चर में आधारिक डिग्री धारी हो । **या** (ग) नियमित समुद्री जहाज़ों / श्रेणीकरण समितियों / पोत निर्माण यार्डो / मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय नौवहन निगमों या राज्य पत्तन विभागों में 15 वर्ष के अनुभव सहित पोत निर्माण में डिप्लोमा किए हों । **या** (घ) मास्टर मैरीनर जिनके पास भारत सरकार के जहाज़रानी महा निदेशक या उसके समकक्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद समुद्री प्रशिक्षण या समुद्री सर्वेक्षण के अनुभव के साथ नौचालन में 02 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो ।	` 75,000/–

परामर्श कार्य क्षेत्र /कार्य विवरण

नियम 21(iv) और 21(vii) के अनुसार पंजीकरण प्राधिकारी मुख्य सर्वेक्षक और सर्वेक्षक की ड्यूटि संलग्न है :–

(क) मुख्य सर्वेक्षक

1. जलयानों (स्टील, लकड़ी से निर्मित एफ आर पी/जी आर पी हल लगा हुआ विद्यमान तथा नवनिर्मित जलयान / बोट) के सर्वेक्षण के लिए आवेदनों की जाँच करना एवं इस बात की पुष्टि करना कि यह सही है ।
2. सर्वेक्षणों के लिए तिथि एवं स्थान निर्धारित करना और नियमानुसार सर्वेक्षण करना ।
3. जाँच करके यह सुनिश्चित करना कि जलयानों का निर्माण स्वीकृत ड्राइंग्स , सामान्य प्रबंध योजना आदि के अनुसार किया गया है
4. यह निर्धारित करना कि जलयान का हॅल उचित स्थिति में है और सेवा के योग्य है ।
5. जलयान की स्थिरता संबंधी जाँच करना ताकि किसी भी स्थिति में जलयान के डूबने से बचने हेतु सुरक्षा उपाय सुनिश्चित हो सके ।
6. यह पता लगाना कि मशीनरी तथा मशीनरी नक्शा प्रोपेलर शॉफ्टिंग गियरस तथा स्टीयरिंग, पाइप लाइंस जैसे बिल्ज तथा ब्लास्ट , ऑलय ट्रांसफर आादि , व्हील हाउस, नाविक आवास पैसेजस , गलीस, स्टोर्स, सेवा स्थान आदि, वेंटीलेशन , इंजन रूम के लिए वायु को बदलने आदि , जीवन रक्षक उपकरण, आग बुझाने संबंधी लाइट्स तथा साउन्ड सिग्नल्स, नेवीगेशन और संचार उपकरण आदि सही है और सामान्य रूप से जलयान , नाविकों और यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरी तरह लैस है ।
7. जलयान के मालिक अथवा मास्टर को उसके द्वारा सर्वेक्षण की गई जलयान के बारे में सर्वेक्षण घोषणा जारी करना ।
8. इन नियमों में विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करने पर कागजातों की प्रतियाँ देना तथा सर्वेक्षण तथा विविध प्राप्तियों से जुड़ी सभी देय का लेखा–जोखा रखना ।
9. सर्वेक्षण प्रारंभ होने से पूर्व सभी प्रकार के जलयान जिसे अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा स्वीकृत किया जाएगा की सर्वेक्षण हेतु दिशानिर्देश तैयार करना ।

(ख) सर्वेक्षक

सर्वेक्षक, मुख्य सर्वेक्षक के अधीनस्थ होगा और वह निम्नलिखित कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात :–

1. मुख्य सर्वेक्षक से प्राप्त निदेशानुसार जलयान का सर्वेक्षण कार्य करना ।
2. जलयानों से संबंधित रजिस्टरों का रख–रखाव ।
3. जलयानों पर सांविधिक प्रावधानों के अनुसार आवधिक निरीक्षण करना और बोर्ड पर रख–रखाव किए जाने वाले रिकार्डो की जाँच करना तथा नाविक प्रमाण–पत्र , सर्वेक्षण प्रमाण–पत्र, जीवन रक्षण उपकरण , आग बुझाने वाले उपकरण , नौचालन और संचार उपकरण मशीनरी आदि की वैद्यता को देखना । यदि कोई चूक पाया जाता है तो वह जलयान को रोक कर रखेगा और सक्षम प्राधिकारी को पंजीकरण / सर्वेक्षण प्रमाणपत्र को निलंबन / निरस्त करने हेतु आवश्यक सिफारिश करेगा । यह रोक आदेश फार्म संख्या II (ए) में होगा ।

नोट : प्रत्येक सर्वेक्षक उसके द्वारा की गई किसी सर्वेक्षण के प्रयोजन हेतु भारतीय दंड सहिता की अर्थ के भीतर एक लोक सेवक माना जाएगा ।

उपर्युक्त कार्य विवरण के अतिरिक्त चयनित उम्मीदवारों से आशा की जाती है । वे सभी तकनीकि/व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रदान करेगें । वे पत्तन प्रबंध बोर्ड के स्वामित्व में उपलब्ध जलयानों की सभी सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

उपर्युक्त शुल्क में सभी खर्च शामिल है । चयनित पदधारियों को किसी भी प्रकार या रूप में अन्य कोई सुविधाएँ स्वीकार्य नही होगें तथा जो उम्मीदवार उपर्युक्त दर्शाई गई फीस से संतुष्ट नहीं है तो वे प्रत्याशित फीस का उल्लेख कर सकते हैं ।

तथापि चयनित उम्मीदवार अपने पूर्णकालिक परामर्शी के रूप में कार्य करने की अवधि के दौरान प्रत्येक पूर्ण माह के लिए एक दिन का अवकाश पाने के हकदार होंगे, जिसे वे अपने कार्य अवधि के पूरा होने से पहले ले सकते है ।

जब कभी उन्हें पोर्टब्लेयर को छोड़कर अन्य द्वीपों में भेजा जाता है तो मुख्य सर्वेक्षक और सर्वेक्षक प्रतिदिन महँगाई भत्ता के लिए रू 500/– तथा आने जाने की यात्रा के लिए मुफ्त टिकट पाने के हकदार होंगे ।

आवेदक को ईमानदार, मेहनती होने के साथ–साथ किसी भी चुनौती/कार्य को स्वीकार करने हेतु तत्पर रहना चाहिए । उनके पास उन्हें सौंपे गए कार्य के समयबद्ध तरीके से अच्छे ढंग से पूरा करने का सामर्थ्य भी होने चाहिए तथा उन्हें कोई बड़ी बीमारी भी नही होनी चाहिए ।

बिना कोई सूचना दिए अथवा कारण बताए किसी भी समय परामर्शी के तौर पर हुई उनकी नियुक्ति को समाप्त किया जा सकता है । इस संबंध में उन्हें मुख्य पत्तन प्रशासक के निर्णय को मानना होगा ।

उम्मीदवारों की उपयुक्तता की जाँच, उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई रिकार्ड्स, व्यक्तिगत वार्तालाप में उनकी निष्पादन व्यावसायिक ज्ञान एवं क्षेत्र में अनुभव के आधार पर विधिवत गठित समिति द्वारा की जाएगी ।

इच्छुक व्यक्ति, जो पात्रता की मानदंडों को पूरा करते हैं, वे अपना विवरण सभी प्रमाणपत्रों / शंसापत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियों के साथ संलग्न निर्धारित फार्मेट में दिनांक 15 जनवरी 2017 तक या इससे पहले मुख्य पत्तन प्रशासक, पत्तन प्रबंध बोर्ड, पोर्ट ब्लेयर – 744101 अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पास जमा कर सकतें हैं । उपर्युक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएँगे ।

मुख्य पत्तन प्रशासक ,
पत्तन प्रबंध बोर्ड

(पत्तन प्रबंध बोर्ड में पूर्ण कालिक परामर्शदाताओं को नियुक्ति के लिए आवेदन)

जीवन वृत्त

01.	नाम	
02.	पिता का नाम	
03.	जन्म तिथि	
04.	पता	
05.	शैक्षिणिक योग्यताएँ	
06.	व्यावसायिक योग्यताएँ	
07.	अनुभव	
08.	प्रत्याशित मासिक वेतन	
09.	संपर्क संख्या	लैन्ड लाइन मोबाइल
10.	वर्तमान रोज़गार का ब्यौरा, यदि कोई हो ।	
	क. संगठन	
	ख. धारित पद	
	ग. सेवावधि	
	घ. मासिक परिलब्धियाँ	
	च. रोज़गार का प्रकार	

संलग्नकों की सूची

1.
2.
3.
4.
5.

तिथि सहित उम्मीदवार का हस्ताक्षर